प्रेषक

निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, शिक्षा सदन, सैक्टर–5,
पंचकूला ।

सेवा में

1. राज्य में स्थित सभी जिला शिक्षा अधिकारी ।
2. राज्य में स्थित सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ।

यादी कमांक :– 4/1–2010 एच0आर0जी0–II (1)
दिनांक, पंचकूला।

विषयः– **मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति मामले आमन्त्रित करना ।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 4/1–2010 एच0आर0जी0–II (1) दिनांक 15.03.2010 (जोकि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित था) व समसंख्यक पत्र दिनांक 10.1.2012 के संदर्भ में ।

संदर्भित पत्र द्वारा मास्टर वर्ग की वरिष्ठता कमांक 4300 तक के तथा हिन्दी व पंजाबी के ऐसे अध्यापकों के पदोन्नति मामले मांगे गए थे जिनकी सेवायें दिनांक वर्ष 1991 तक नियमित हुई थीं । प्राप्त केसों के बावजूद भी रिक्तियां शेष रहने पर मिडल हैड के पद पर पदोन्नती हेतु भेजे गऐ मामलों में से वरिष्ठता कमांक 4700 तक के मामले निदेशालय की संबंधित शखा से प्राप्त किये गये पर फिर भी रिक्तियां शेष रहने पर मिडल हैड के पद पर पदौन्नती हेतु भेजे गऐ मामलों में से पुनः वरिष्ठता कमांक 5200 तक के मामले निदेशालय की संबंधित शखा से प्राप्त किये गये हैं। संभव है कि सभी मास्टरों ने मिडल हैड के लिये आवेदन न किया हो, अब क्योकि वरिष्ठता कमांक 5200 तक के मास्टरों को मुख्याध्यापक उच्च विद्यालय हेतु विचारा जाना है अतः यदि वरिष्ठता कमांक 5200 तक कोई मामला आपके पास शेष है तो दिनांक 16.1.2012 तक ऐसे मामले पूर्ण निजि मिसल व 2010–11 की वा0गो0रि0 सहित निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें परन्तु आप द्वारा इस और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया तथा न ही कोई केस मुख्यालय में भेजा ।
इसी प्रकार हिन्दी विषय के पद शेष रहने के कारण वर्ष 31.12.1998 तक नियमित हुए सभी हिन्दी अध्यापक जो बी0ए0 व बी0एड0 की योग्यता रखते हों के मामले भी दिनांक 16.1.2012 तक पूर्ण निजि मिसल व 2010–11 की वा0गो0रि0 सहित निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करने तथा साथ में यह भी प्रमाणित करने का अनुरोध किया था कि आपके पास किसी भी कटेगिरी का कोई ओर मामला शेष नहीं है। परन्तु खेद है कि आज तक भी आपने कोई सूचना नहीं भेजी है ।

आपसे अन्तिम बार अनुरोध है कि वांछित प्रमाण पत्र/शेष मामले दिनांक 25.1.2012, 2.00 बजे तक निजि वाहक के माध्यम से हर हालत में भिजवाना सुनिश्चित करें । यदि निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि आपके पास कोई केस शेष नहीं है ओर यदि निर्धारित तिथि के पश्चात कोई मामला भेजा गया तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी निजि तौर पर जिम्मेवार होंगे तथा उनके कार्यालय के संबंधित दोषी कर्मचारी कठोर अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र होंगे ।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I
कृतेः निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।